प्रेसनोट, दिनांक 08.11.2025
थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव

दिनांक 06.11.2025 को थाना बीघापुर क्षेत्रान्तर्गत टिकौली रावतपुर हॉल्ट से 200 मीटर दूर रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला, महिला के गले में चोट का निशान था। थाना बीघापुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा मृतका की शिनाख्त के प्रयास किया गये, जिस पर मृतका की शिनाख्त उसकी माँ के द्वारा उसकी पुत्री उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम दुर्गागंज थाना जगतपुर जनपद रायबरेली के रूप में हुयी। दिनांक 07.11.2025 को मृतका की माँ की तहरीर पर थाना बीघापुर मु0अ0सं0 293/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अंकुल पुत्र शिवमोहन जाटव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम खुदायपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। दिनांक 07.11.2025 को समय करीब 19.20 बजे थाना बीघापुर पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत गश्त के दौरान जंगली खेड़ा नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में अंकुल पुत्र शिवमोहन जाटव उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम खुदायपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ में अभियुक्त के बांए पैर मे गोली लगी। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू, खूनालूदा पैंट, एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ पत्नी की हत्या के संबन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि संबंध उपरोक्त महिला से इंस्टाग्राम के जरिये नवंबर 2024 में हुआ था। मेरा विवाह 15.04.2025 को उपरोक्त के साथ हुआ था। दिनांक 01.11.2025 को दोनों पति पत्नी के मध्य विवाद हुआ जिसके पश्चात दिनांक 05.11.2025 को रायबरेली पैसेंजर ट्रेन से समय 16.30 बजे कानपुर नगर से अपने घर ग्राम खुदायगंज जा रहे थे। रास्ते में हम दोनों का ट्रेन मे ही झगड़ा हुआ तथा थाना बीघापुर क्षेत्रान्तर्गत रावतपुर टिकौली हाल्ट पर दोनों उतर गये तथा मैने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।